

प्रेस नोट-

थाना टहरौली, झांसी

दिनांक 14.09.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना टहरौली पुलिस द्वारा वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल पर्यवेक्षण एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.09.2025 को वारण्टी मुकेश कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी ग्राम बमनुआ थाना टहरौली जिला झांसी उम्र करीब 25 वर्ष सम्बन्धित मु०अ०सं० 221/17 धारा 363/366/376 भा०द०वि० व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना टहरौली के विरुद्ध माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाँक्सो एक्ट झांसी द्वारा निर्गत एनबीडब्लू वारण्ट का अनुपालन कराते हुये के थाना टहरौली पुलिस द्वारा वारण्टी मुकेश कुशवाहा उपरोक्त को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण – मुकेश कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी ग्राम बमनुआ थाना टहरौली जिला झांसी

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ०नि० श्री सुशील त्रिपाठी, थाना टहरौली झांसी
2. कां० 846 नरेश पटेल, थाना टहरौली जिला झांसी